

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें

[सेबी (सूचीकरण विनियम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62(1ए) के अनुसार]

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के बोर्ड में उनकी नियुक्ति पर निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे:

1. नियुक्ति

ए. कंपनी के एसोसिएशन अनुच्छेदों के अनुच्छेद 65 के अनुसार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मुंत्रालय, यानी रेल मंत्रालय (एमओआर), भारत सरकार के माध्यम की जाती है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए और ऐसे नियम और शर्तों के अनुसार होगी, जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए उनके संबंधित आदेश में उल्लेख किया गया है।

बी. स्वतंत्र निदेशक इस शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशा - निर्देशों के तहत प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार होना चाहिए।

सी. स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, डीपीई दिशा- निर्देशों और अन्य वैधानिक प्रावधान या कोई अन्य विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार कार्यों को देखने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर गठित बोर्ड या किसी अन्य समिति (समितियों) की विभिन्न समितियों, में शामिल किया जा सकता है।

2. भूमिका, कार्य और कर्तव्य।

स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के तहत निर्धारित धारा 166 और स्वतंत्र निदेशकों की संहिता के अनुसार भूमिका, कार्यों और कर्तव्यों को निभाने और निर्वहन करने की आवश्यकता होगी।

3. पारिश्रमिक और व्यय की प्रतिपूर्ति

ए. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक शुल्क कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर कंपनी अधिनियम, 2013

और डीपीई दिशा - निर्देशों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अनुसार तय की जाती है। वर्तमान में, स्वतंत्र

निदेशकों को सामान्य बैठक को छोड़कर निदेशक मंडल की बैठक और बोर्ड द्वारा गठित समितियों की

बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक ₹ 15,000/- बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

बी. ऊपर बताए अनुसार बैठक शुल्क के अलावा, वे वास्तविक यात्रा, होटल और अन्य खर्चों के लिए भी हकदार होंगे:

- i) निदेशक मंडल या उसकी किसी समिति की बैठकों या कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने के लिए और वापसी में; या
- ii) कंपनी के व्यवसाय के संबंध में कंपनी की किसी साइट/परियोजना का दौरा करना।

4. प्रेरण

स्वतंत्र निदेशकों को उनके शामिल होने पर प्रबंधन द्वारा औपचारिक बैठकों और कंपनी पुस्तिकाओं के माध्यम से जानकारी दी जाती है। उन्हें डीपीई, अन्य सरकार और प्रतिष्ठित संगठनों जैसे स्कोप, आईओडी आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और परिचित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। साथ ही, उन्हें केआरसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, केआर रेलवे स्टेशनों और परियोजना स्थलों आदि पर जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

5. ब्याज का प्रकटीकरण और स्वतंत्रता की घोषणा

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184(1) के अनुसार निदेशक, सदस्य, अन्य कंपनियों, फर्मों, कॉर्पोरेट निकाय आदि में भागीदारी का खुलासा करेंगे और स्वतंत्रता की घोषणा भी करेंगे कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अनुसार उनकी नियुक्ति के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी कोई परिवर्तन होता है, स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करेंगे।

6. टर्मिनेशन

ए. स्वतंत्र निदेशक किसी भी समय एमओआर और/या कंपनी के निदेशक मंडल को त्यागपत्र के कारणों का उल्लेख करते हुए एक लिखित नोटिस देकर निदेशक पद का त्याग कर सकते हैं।

बी. स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का कार्यकाल रेल मुत्रालय के किसी भी आदेश के अधीन है।

7. गोपनीयता

ए. स्वतंत्र निदेशक द्वारा नियुक्ति और कार्यकाल के दौरान प्राप्त कंपनी के संबंध में सभी जानकारी को गोपनीय रखनी चाहिए और कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो।

बी. निदेशक के रूप में, स्वतंत्र निदेशक इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण के निषेध और प्रतिबंधों के लिए बाध्य हैं, जैसा कि अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी नियमों के तहत निर्धारित किया गया है।

8. दायित्व

लागू कानून के अधीन, उनके कर्तव्यों के किसी भी उल्लंघन के लिए, स्वतंत्र निदेशक लागू कानून के तहत निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे और कंपनी के संबंध में, वे कंपनी द्वारा भूल - चूक के ऐसे कृत्यों के लिए जो उनकी जानकारी में हुए थे, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से और उनकी सहमति या मिलीभगत से, या जहां उन्होंने तत्परता से काम नहीं किया है उसके के लिए उत्तरदायी होंगे

9. बीमा

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों सहित कंपनी के सभी निदेशकों के लिए निदेशकों और अधिकारियों की बीमा देयता नीति लागू की है।

10. विविध

ए. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम अनुमेय सीमा, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता के अधीन है।

बी. स्वतंत्र निदेशक कंपनी के कर्मचारी नहीं होंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें जारी नियुक्ति पत्र/नियुक्ति पत्र रोजगार का अनुबंध नहीं होगा।
